



## ड्यूलिंग यूनिट का विवरण

कुल स्वीकृत ड्यूलिंग यूनिट्स	=	2080 यूनिट्स
वर्तमान में कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	=	1540 यूनिट्स
वर्तमान में कुल निर्मित सर्वेट यूनिट्स	=	197 यूनिट्स


### प्रतिबन्ध -


- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- नौएडा भवन विनियमावली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- आग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैप्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निर्मित प्राप्त किये गये अनापति प्रमाण पत्रों में अंकित निर्देशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।

संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र।

भवदीय,

Completion Drawing is as per Bye Laws  
submitted for approval Please

   
PI. Asst. Asst. Arch.

  
नाम .....  
पद .....  
नौएडा भवन विनियमावली

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक (ग्रुप हाउसिंग), नौएडा को सूचनार्थ।

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2016/ III-204 /067  
दिनांक : 15/02/2016

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में,

मैसर्स आई0आई0टी0एल0 निम्बस, दी हाइड पार्क,  
 भूखण्ड सं0 जीएच - 03, सैक्टर - 78,  
 नौएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री वैभव जैन काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर पंजीकरण संख्या सीए/2006/38172 समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जीएच - 03, सैक्टर - 78, नौएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण/परिवर्तन /गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह / फर्म द्वारा प्रत्युत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अनिसुरक्षा, अन्दर तथा आस-पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 21.11.2013 को प्राधिकरण द्वारा किये गये परीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड / भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन /भवन विनियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड / भवन में नौएडा बिल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से भानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी /भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 60,348.530 वर्ग मी0
---------------------	-----------------------

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 24,139.412 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल	= 11,024.511 वर्ग मी0
निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल टॉवर ए से डी (4 टॉवर)	= 1,832.480 वर्ग मी0 (3.04%)
सन्दर्भित योजना में शेष भू-आच्छादन क्षेत्रफल	

एफ0ए0आर0 का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल @ 2.75	= 1,65,958.450 वर्ग मी0
सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल	= 1,65,786.313 वर्ग मी0
निर्मित एफ0ए0आर0 क्षेत्रफल टॉवर ए से डी - 4 टॉवर	= 36,834.460 वर्ग मी0
सन्दर्भित योजना में शेष एफ0ए0आर0	= 1,29,123.990 वर्ग मी0

## ज्यूलिंग यूनिट का विवरण

कुल रचीकृत ज्यूलिंग यूनिट्स  
कुल निर्मित ज्यूलिंग यूनिट्स

= 2080 यूनिट्स  
= 352 यूनिट्स

### प्रतिबन्ध -

- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375 एवं 454 वर्ष, 2015 परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं आनन्द आर्या बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुपालन हेतु आबंटी संस्था बाध्य है। यह अधिभोग प्रमाण पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।
- नौएडा भवन विनियमाली - 2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट - 2010, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
- अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानविक्री में दर्शायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये विना किसी प्रकार का परिवर्तन/ परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर / हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/ हरित क्षेत्र/ खुला क्षेत्र/ वृक्षारोपण, सीबरेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा इसके निमित्त प्राप्त किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अकित निर्देशों /शर्तों एवं प्रतिबन्धों आदि का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया बाध्यकारी होगा।

संलग्नक - भवन के समापन मानविक्री ।

भवदीय,

Complaint Drawing is as per Bye  
Laws Submitted for approval File No. ....

PI. Aroh ~ Aroh Aroh ~ Aroh

नाम .....  
पद ..... (इमारत संख्या)  
मुमार्दा नोंदवा

15/2/16

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग), नौएडा को सुचनार्थ ।

HYDE PARK  
 CC FOR TOWER-Y, Q,R, CLUB & COMMERCIAL

पत्रावली संख्या बी०पी०-III-204

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
 (भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ ०प्र०)

संख्या नोएडा/बी०सी०/बी०पी०-III-204 | १०३५

दिनांक: २२ | ५ | १८

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में

M/s IITL Nimbus The Hyde Park

जी०एच०-०३, सेक्टर-७८

नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद् श्री वैभव जैन काउन्सिल आफ आर्कटिकदर पंजीकरण संख्या सी०ए०/२००६/३८१७२ समूह/फर्म के पर्यवेक्षण में भूखण्ड संख्या-जी०एच०-०३, सेक्टर-७८, नोएडा पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ गिराये जाने के काम का संलग्न मानचित्र के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद् के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है।

यह अधिभोग पत्र दिनांक 24.04.18 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन / भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी। भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानचित्र स्वीकृत कराने तथा उस भाग का अधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-स्वामी का होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 60,348.53 वर्ग मी०

भू-आच्छादन का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल  
 सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल  
 पूर्व में निर्मित भू-आच्छादन (अधिभोग जारी)  
 वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन (Q,R,Y टॉवर्स  
 वाणिज्यिक एवं कम्युनिटी)  
 कुल निर्मित भू-आच्छादन

= 24,139.412 वर्ग मी०(40%)  
 = 11,289.727 वर्ग मी०(18.7%)  
 = 6,760.79 वर्ग मी०  
 = 3039.932 वर्ग मी०  
 = 9799.72 वर्ग मी०

### एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० @2.75	= 1,65,958.57 वर्ग मी०
अनुमन्य एफ०ए०आर० क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित @3.5	= 2,11,219.855 वर्ग मी०
सम्पूर्ण योजना में पुनरीक्षित एफ०ए०आर०	= 1,90,167.319 वर्ग मी०
क्रय योग्य एफ०ए०आर० सहित	
पूर्व में अधिभोग जारी एफ०ए०आर० (17 टॉवर्स)	= 1,33,248.35 वर्ग मी०
(Tower A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O,P,V & X)	
वर्तमान में निर्मित एफ०ए०आर०	= 26,999.974 वर्ग मी०
(Tower Q,R,Y वाणिज्यिक एवं कम्युनिटी)	
कुल निर्मित एफ०ए०आर०(अधिभोग जारी एवं अधिभोग हेतु आवेदन)	= 1,60,248.324 वर्ग मी०

### ड्यूलिंग यूनिट का विवरण

कुल पुनरीक्षित ड्यूलिंग यूनिट्स(अधिभोग जारी सहित)	= 2092 यूनिट्स
निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स (अधिभोग जारी)	= 1540 यूनिट्स
निर्मित सर्वेट ड्यूलिंग यूनिट्स (अधिभोग जारी)	= 176 यूनिट्स
वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 276 यूनिट्स
कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स	= 1816 यूनिट्स
निर्मित वाणिज्यिक क्षेत्रफल	= 1856.72 वर्ग मी०
कुल निर्मित दुकाने	= 58 दुकाने

### प्रतिबन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के इको सेन्सेटिव जौन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होगें ।
2. नीएडा भवन विनियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानविक्रों में दशायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वस्त कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डरकेप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानविक्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
5. सम्पूर्ण योजना के अधिभोग हेतु आवेदन के समय नियमानुसार पूर्ण देय लेवर सेस जमा कराना सुनिश्चित करें ।

6. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्हीं अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
  7. आवंटी संस्था द्वारा रेस (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
  8. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही कराना सुनिश्चित करें । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें ।
- संलग्नक - भवन के समापन मानचित्र ।

Completion Drawing No. 1000 Date \_\_\_\_\_  
Laws submitted for Registration \_\_\_\_\_

 M. Patel  Asst. Arch.  Architect

भवदीय

नाम \_\_\_\_\_  
पद \_\_\_\_\_

नोएडा  
के कु

प्रतिलिपि: महा प्रबन्धक(युप हाऊसिंग) को सूचनार्थ ।